68

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 965-तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 03-06-09 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 125/निग./2004-05

.....

1- ज्ञानेन्द्र कुमार पटेल तनय मनबहोर पटेल
2- रविकुमार पटेल तनय मनबहोर पटेल
3- रावेन्द्र कुमार पटेल तनय मनबहोर पटेल
4- योगेन्द्र कुमार पटेल तनय मनबहोर पटेल
निवासीगण- ग्राम देवरी शिवमंगल सिंह,
तहसील मउगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

-----आवेदकगण

विरूद्ध

1- प्रहलाद प्रसाद पटेल तनय श्री राजमणि पटेल
2- श्रीमती राजकली पत्नी स्व. श्री हिंछलाल पटेल
3- ललिता प्रसाद तनय श्री गजाधर पटेल
4- हीरालाल तनय श्री गजाधर पटेल
5- चन्द्रभूषण तनय श्री गजाधर पटेल
6- रामसुन्दर तनय श्री सूर्यदीन पटेल
7- मनबहोर तनय सीताराम लोहार
8- समरजीत तनय सीताराम लोहार
निवासीगण - ग्राम देवरी शिवमंगल सिंह,
तहसील मउगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

------अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस.पी. भटनानगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राज्स्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-06-09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम देवरी शिवमंगल सिंह स्थित विवादित आराजी नं0 5/1 रकबा 2.00 एकड़ के नक्शा तरमीम किये जाने आवेदन पत्र तहसीलदार मउगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 12-08-04 से नक्शा तरमींम किये जाने का आदेश दिया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । जहॉ कलेक्टर रीवा ने निगरानी में निर्णय लेने हेतु अपर कलेक्टर को निर्देश दिये । कलेक्टर के निर्देश के पालन में प्रकरण क्रमांक 461/निग./2003-04 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने के उपरांत दिनांक 05-07-05 को आदेश पारित किया जिसके अनुसार निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जिस पर अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 125/निग./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 03-06-09 से निगरानी स्वीकार की तथा अपर कलेक्टर के आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये निरस्त कि□या । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का

निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण ने नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में दिया था, जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति भी पेश की गई थी । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12-08-04 को नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया, किन्तु आपत्ति का निराकरण नहीं किया, केवल आपत्ति खारिज करने का उल्लेख किया है, जबकि कारण सहित आपत्ति का निराकरण कर करना चाहिये था, जो कि तहसील न्यायालय द्वारा नहीं गया । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय ने दिनांक दिनांक 09-07-04 एवं दिनांक 21-07-04 को अंतिम तर्क हेतु नियत की गई थी, किन्तु अंतिम तर्क न सुनकर राजस्व निरीक्षक का प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 12-08-04 को अंतिम आदेश पारित कर दिया। जबकि तहसील न्यायालय में प्रकरण दिनांक 24-05-04 को दर्ज किया गया है और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 09-05-2004 की है। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया न अपना कर अवैधानिक आदेश पारित किया है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपर कलेक्टर द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है और तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है जो विधिसंगत प्रतीत नहीं होता। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुये विधिक बिन्दुओं का निराकरण विचार किया है, इसके पश्चात ही तहसील न्यायालय एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03-06-09 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर